

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 974

(जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं अनुदान सहायता

974 श्री सुदामा प्रसाद:

श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जनवरी 2004 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (आईएफआई) से प्राप्त ऋण और अनुदान सहायता द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समर्थित विकास परियोजनाओं और योजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) ऐसे ऋणों और अनुदान सहायता के उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) प्राप्त ऋणों पर देय ब्याज परियोजना-वार कितना है; और
- (घ) अब तक प्राप्त ऋणों पर बकाया ब्याज राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण और सहायता अनुदानों द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वित्तपोषित विकास परियोजनाओं के संबंध में उपलब्ध विवरण ऋण के लिए अनुलग्नक 'क' और अनुदान के लिए अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है; और

(घ): ऋणों पर बकाया ब्याज राशि की प्रकृति परिवर्तनीय होती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की उधार दरें परिवर्तनशील संदर्भ दरों पर आधारित होती हैं, जो आमतौर पर निश्चित अंतरालों, त्रैमासिक या द्विवार्षिक पर पुननिर्धारित की जाती है।

\*\*\*\*\*